# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/महा.वि.प./2011/ 3643

दिनांकः 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

**महाविद्यालय का नाम : एस.आर.डी. महाविद्यालय, गोपालपुरा, मुरैना**

**मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर**

**2. डॉ. मनेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, कार्यपरिषद्**

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

**अधिष्ठाता**
**महाविद्यालयीन विकास परिषद**

प्रतिलिपिः-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. **प्राचार्य, एस.आर.डी. महाविद्यालय, गोपालपुरा, मुरैना** की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

**अधिष्ठाता**
**महाविद्यालयीन विकास परिषद**



S.R.D. College, Gopalpura

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।


ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/


प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 4841 दिनांक : 09/05/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार **एस.आर.डी. महाविद्यालय, मुरैना** को सत्र 2011-12 के लिये बी.ए. द्वितीय वर्ष, (आ.पा. हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, राजनीतिशा. समाजशा. भूगोल) बी.एस-सी., द्वितीय वर्ष (आ.पा. भौतिक, रसायन, गणित, प्राणिशास्त्र, वनस्पति, (कम्प्यूटर साइंस माइक्रोवायलॉजी, वायोटेक, बायोकेमिस्ट्री) बी.कॉम., द्वितीय वर्ष (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि.) बी.बी.ए., द्वितीय वर्ष बी.सी.ए., द्वितीय वर्ष एव बी.ए प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर एप्ली. अति. विषय) **पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

**शर्ते/प्रतिबंध :-**

1. वर्तमान में प्राचार्य एवं तीन शिक्षक ही 28(17) के अंतर्गत नियुक्त है। इसके अतिरिक्त भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, भूगोल, कॉमर्स, एवं मैनेजमेंट, गणित, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी, विषय के भी प्राध्यापकों की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत तीन माह के अंदर की जावे।
2. लाइब्रेरियन एवं खेल शिक्षक भी अनिवार्य रूप से 28(17) के अंतर्गत नियुक्ति की जावे।
3. 50,000/- रू. की पुस्तकें क्रय की जावे।
4. पाँच P-IV कम्प्यूटर क्रय किये जावे।
5. लीगल सोफ्टवेयर क्रय किये जावे।
6. परिनियम 28 का पालन किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.आर.डी. महाविद्यालय, मुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)